ब अदालत श्री अनिल शर्मा, तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

प्रदीपना पुत्री स्व0 श्री दीना नाथ, गांव भंडराल, चक थाना, तहसील ननखरी हालावाद पत्नी श्री जवहार लाल, गांव डोई, डा0 बडाच, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत थाना ननखरी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा।

निवेदिका प्रदीपना पुत्री स्व0 श्री दीना नाथ, डा0 व गांव भंडराल, चक थाना, तहसील ननखरी हालावाद पत्नी श्री जवहार लाल, गांव डोई, डा0 बडाच, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त पेश कर गुजारिश की है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 14–08–1980 ग्राम पंचायत में सही व दुरुस्त है। इसलिए मैं ग्राम पंचायत थाना ननखरी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि 14–08–1980 दर्ज करवाना चाहती हूं। आवेदिका ने शपथ–पत्र व अप्राप्यता प्रमाण–पत्र संलग्न कर अनुरोध किया है कि मेरी जन्म तिथि ग्राम पंचायत थाना ननखरी में पंजीकृत की जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण से सम्बंधित ग्राम पंचायत थाना ननखरी के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो दिनांक 14–03–2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें। अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जायेगा कि उक्त जन्म के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत थाना ननखरी को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14–02–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/–
मोहर। (अनिल शर्मा),
तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल शर्मा, तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सरोजनी देवी पत्नी श्री बीटु, ग्राम टूटू, डा0 देलठ, तहसील ननखरी जिला शिमला, हि0प्र0 .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.——प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0प्र0 के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा।

श्रीमती सरोजनी देवी पत्नी श्री बीटु, ग्राम टूटू, डा0 देलट, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त पेश की है कि मेरी पुत्री प्रीति की जन्म तिथि 05—05—2008 सही व दुरुस्त है तथा आधार में 27—04—2008 है जोकि गलत दर्ज है मैं अपनी पुत्री प्रीति का नाम व जन्म तिथि 05—05—2008, ग्राम पंचायत देलठ, तहसील ननखरी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती हूं, आवेदिका ने शपथ—पत्र व अप्राप्यता प्रमाण—पत्र व बेटी का दसवीं कक्षा का प्रमाण—पत्र संलग्न कर अनुरोध किया है कि मेरी पुत्री प्रीति का नाम व जन्म तिथि 05—05—2008 ग्राम पंचायत देलठ, तहसील ननखरी के जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकृत किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण से सम्बंधित ग्राम पंचायत देलठ, तहसील ननखरी के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो दिनांक 15—03—2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जायेगा कि उक्त जन्म के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत देलठ, तहसील ननखरी को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15—02—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/—
मोहर। (अनिल शर्मा),
तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री अनमोल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप—तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 18/13—B/2023 तारीख दायर : 27—06—2023

श्री राम कृष्ण व गोपी चन्द पुत्रगण स्व0 श्री ईश्वर दास, निवासीगण गांव व डाकघर दरकाली, उप—तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

नोटिस बनाम आम जनता।

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्री राम कृष्ण व गोपी चन्द पुत्रगण स्व0 श्री ईश्वर दास, निवासीगण गांव व डाकघर दरकाली, उप—तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थीगण का सगा भाई राई दास पुत्र स्व0 श्री ईश्वर दास, निवासी गांव व डाकघर दरकाली, उप—तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) का इंतकाल—उल—खबरी दर्ज करने हेतु प्रार्थना—पत्र गुजार रखा है। वादीगण का भाई श्री राई दास जो 45—50 वर्षों से लापता है। लापता होने के करीब 50 साल का

अरसा हो गया है। आज तक उनका कोई पता न चला है और न ही कोई चिट्ठी पत्र आई है, न ही किसी ने उनको देखा है। इस बारे पटवारी पटवार वृत्त बहाली रिपोर्ट व शपथ–पत्र साथ संलग्न किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन मिति 20–03–2025 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 19–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्रीमती तन्जिन डोलमा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 01/2025 तारीख संस्थापन : 09–01–2025 तारीख फैसला :

श्रीमती पूनम पत्नी स्व0 श्री वेदप्रकाश, गांव हथिया, डा0 कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त।

श्रीमती पूनम पत्नी स्व0 श्री वेदप्रकाश, गांव हथिया, डा0 कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना–पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2020–2021, नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, राशन कार्ड, विद्यालय प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कांगल (मोहाल हथिया) के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 16/28 में उसके पति का नाम निटू पुत्र स्व0 श्री निकाराम गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थिया के मुताबिक उसके पति का नाम प्रस्तुत करवाए गए सबूतों के अनुरूप वेद प्रकाश दर्ज है।

इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरण से छानबीन करवाई गई मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, आवेदक का नाम पटवार वृत्त कांगल, मोहाल हथिया के राजस्व रिकार्ड में निटू पुत्र स्व0 श्री निकाराम दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त कांगल (मोहाल हथिया) के राजस्व सम्पदा के अराजी खाता/खतौनी नं0 16/28 में निटू पुत्र स्व0 श्री निकाराम के स्थान पर निटू उर्फ वेदप्रकाश पुत्र स्व0 श्री निकाराम दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 20–03–2025 को प्रातः 11.00 तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जावेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 19–02–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
(तन्जिन डोलमा),
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

——————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा सं0 : 09 / 2024 तारीख दायर : 04–12–2024 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

मुकद्दमा शीर्षक : श्री अंशुल कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव घटोल, डाकघर बडावली, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

विषय.——राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्त इन्द्राज बारे।

श्री अंशुल कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव घटोल, डाकघर बडावली, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का नाम राजस्व माल कागजात मौजा मसारना करेरी में काकू पुत्र प्रेम सिंह पुत्र कमला नन्द दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है, वादी का वास्तविक नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसैंस एवं स्कूल प्रमाण–पत्र के अनुसार अंशुल कुमार पुत्र प्रेम सिंह पुत्र कमला नन्द है। वादी राजस्व कागजात मौजा मसारना करेरी व राजपुरा में अपना नाम काकू पुत्र प्रेम सिंह पुत्र कमला नन्द के स्थान पर अंशुल कुमार पुत्र प्रेम सिंह पुत्र कमला नन्द दुरुस्त करना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो रामपुर से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से पाया कि मौजा मसारना करेरी खाता नं0 6, 7, 8 में सायल मालिक अराजी दर्ज है इसके अलावा सायल के नाम मुहाल राजपुरा खाता 1, 2 में भी अराजी है। मालकागजात में सायल का नाम काकू दर्ज है। सायल का नाम माल कागजात मौजा मसारना करेरी व राजपुरा में काकू पुत्र प्रेम सिंह पुत्र कमलानंद के स्थान पर अंशुल कुमार पुत्र प्रेम सिंह पुत्र कमलानंद दुरुस्त किया जाना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी का नाम राजस्व कागजात मौजा मसारना करेरी व राजपुरा में वादी का नाम राजस्व कागजात मौजा काकू पुत्र प्रेम सिंह पुत्र कमलानंद के स्थान पर अंशुल कुमार पुत्र प्रेम सिंह पुत्र कमलानंद दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति, सगे सम्बन्धी को कोई भी उजर / एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन / वकालतन हाजिर होकर अपना उजर / एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 17–02–2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा सं0 : 06/2024 तारीख दायर : 29—10—2024 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

मुकद्दमा शीर्षक : श्री शंकर कुमार पुत्र स्व0 श्री भोला सिंह, निवासी गांव रतनपुर, डाकघर करतोट, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.——राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्त इन्द्राज बारे।

श्री शंकर कुमार पुत्र स्व0 श्री भोला सिंह, निवासी गांव रतनपुर, डाकघर करतोट, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का नाम राजस्व मालकागजात मौजा कोशगार एवं सनारसा में राकेश पुत्र भोला सिंह दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है। वादी का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, बोनाफाईड हिमाचली, स्कूल प्रमाण—पत्र एवं शपथ—पत्र के अनुसार शंकर कुमार पुत्र भोला सिंह है। वादी राजस्व कागजात मौजा कोशगार एवं सनारसा में राकेश पुत्र भोला सिंह के स्थान पर शंकर कुमार पुत्र भोला सिंह दुरुस्त करना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो रामपुर से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से पाया कि जमाबंदी वर्ष 2019—2020 चक सनारसा द्वारा यह पाया गया कि सायल का नाम शंकर कुमार पुत्र भोला सिंह दर्ज है। इस संदर्भ में मौके पर हाजिर बाशिंदगान देह के ब्यानात पाया कि सायल का असल नाम शंकर कुमार है, जोकि माल कागजात में गलत दर्ज है। सायल का नाम राकेश के स्थान पर शंकर कुमार पुत्र पोपू उपनाम भोलू पुत्र धर्म दास माल कागजात में दुरुस्त किया जाना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी का नाम राजस्व कागजात मौजा कोशगार एवं सनारसा में राकेश पुत्र भोला सिंह के स्थान पर शंकर कुमार पुत्र भोला सिंह दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति सगे सम्बन्धी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 17—02—2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

———————

In the Court of Ms. Kavita Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H.P.)

Sh. Pawan s/o Sh. Tula Ram, Village & Post Office Rajhana, Tehsil & District Shimla, H.P.

Versus

General Public . . *Respondent.*

Whereas, Sh. Pawan s/o Sh. Tula Ram, Village & Post Office Rajhana, Tehsil & District Shimla, H.P. filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of his/her son Master Lalit Oli as 31-01-2019 in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Rajhana, Shimla, H.P.

Sl. No.	Name of the family members	Relation	Date of Birth
1.	Lalit Oli	Son	31-01-2019

Hence, this proclamation is issued to the general public with directions that if any one has objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named person in the record of Registrar, Birth & Death in Gram Panchayat Rajhana, Shimla, H.P. he/she may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 11-03-2025 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

In the Court of Ms. Kavita Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H.P.)

Smt. Meena d/o Lt. Sh. Kirpa Ram, r/o Village Farnewat, P.O. Reog, Tehsil Sunni, District Shimla, H.P.

Versus

General Public . . *Respondent.*

Whereas, Smt. Meena d/o Lt. Sh. Kirpa Ram, r/o Village Farnewat, P.O. Reog, Tehsil Sunni, District Shimla, H.P. filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of her self Smt. Meena as 17-10-1969 in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Reog, Shimla, H.P.

Sl. No.	Name of the family members	Relation	Date of Birth
1.	Meena	Self	17-10-1969

Hence, this proclamation is issued to the general public with directions that if any one has objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named person in the record of Registrar, Birth & Death in Gram Panchayat Reog, Shimla, H.P. he/she may file their claims/ objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 10-03-2025 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).